भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1355

दिनांक 06 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय राजमार्गों पर अभिघात केन्द्रों की स्थापना

1355. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर अभिघात केन्द्रों की स्थापना की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय राजमार्गों पर अभिघात केन्द्रों की स्थापना के लिए क्या पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और
(ग) सरकार द्वारा इन अभिघात केन्द्रों के समुचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) और 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के दौरान ट्रॉमा और जलने की चोटों की रोकथाम एवं प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम" (एनपीपीएमटी एंड बीआई) के " चिकित्सा महाविद्यालयों में 196 ट्रॉमा परिचर्या सुविधा केंद्रों (टीसीएफ)अंतर्गत देश भर के सरकारी अस्पतालों की स्वीकति की गई। इनमें से कई सुविधा केंद्र राष्ट्रीय राजमार्गों के पास स्थित हैं। राज्यों से प्राप्त टीसीएफ स्थापित करने के प्रस्तावों की जांच की गई और समिति के माध्यम से उनका चयन किया गया।

स्वास्थ्य एक राज्य विषय है। ट्रॉमा परिचर्या सुविधा केंद्रों का संचालन संबंधित राज्यों द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार एनपीपीएमटी एंड बीआई के तहत आवंटन और राज्य की मांग के अनुसार निधि प्रदान करती है।

******